अज अदालत – **उप खण्डअधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)**
पीठासीन अधिकारी– **मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.**
प्रकरण संख्या 95/2012 रेवेन्यु
दायर दिनांक 19/10/2012
निर्णय दिनांक 28/06/2019

1. श्री रायसन पिता रतना डामोर खोखर
2. श्री रमण पिता रूपा डामोर खोखर निवासीयान टकारी प.ह. भचडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. लेम्बा पिता हीरा डामोर खांट निवासी टकारी
2. श्री लेम्बा पिता काना डामोर निवासी टकारी
3. श्री जेसा पिता भूरा डामोर निवासी टकारी
4. श्री पूँजा पिता कालु डामोर निवासी टकारी
5. श्री झालु पिता कला डामोर निवासी टकारी
6. श्री मंगला पिता लेम्बा डामोर निवासीयान टकारी प.ह. भचिडया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
7. श्री भूमिधारी लेण्डहोल्डर तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये खातेदारी अधिकार दिलाए जाने हस्ब दफा 188/88/91/90/209 रा.टी.एक्ट 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट
प्रतिवादी नं. 2 से 5 के विरूद्व एक्टपार्टी
प्रतिवादीगण नं. 1 व 6 की ओर से – श्री भगवान गुजर
प्रतिवादी नं. 7 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

वादीगण का वाद इस प्रकार है कि मोजा टकारी प.ह. भचडिया तहसील सीमलवाडा में संवत 2008 के खातेदार लालिया पिता हीरा डामार (खांट) के खाते के खसरा नं. 148, 149, 150, , 165, 426 कीता 5 रकबा 3.।।।)4 स्थित थे एवं खसरा नं. 152 रकबा 8)1 हरलाल पिता वरसिंग लबाना के नाम से खाता नं. 43 में अंकत होने से संवत 2019 में फर्द तुलनात्मक से खसरा नं. 148 का 179, 149 का 180, 150 का 181, 152 एवं 762/152 का 182, 165 का 195 वो 196 एवं 426 का 478 कायम हुए ।

कि लालीया के खाते में संवत 2008 में मात्र 3.।।।)4 तीन बीघा चार बिस्वा आराजी ही थी लेकिन खसरा नं. 152 जो लालीया के नाम से नहीं होकर अन्य खातेदार के नाम होते हुए लालीया के नाम से अंकित होकर 12) बारह बीघा अंकित हो गई होंने से लालीया की मृत्यु के पश्चात् उसकी माता श्रीमति केहरी बेवा हीरा के नाम 12.।।।)4 बारह बीघा उन्नीस बिस्वा आराजी संवत 2019 में अंकित हुई जिसमें भी खसरा नं. 182 जो था वह हरलाल वल्द वरसिंग लबाना के नाम से अंकित था ।

श्रीमति केहरी ला औलाद होने से उसकी सेवाचाकरी वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 से 5 द्वारा किये जाने से श्रीमति केहरी ने अपने खाते की आराजी में से 6 छः बीघा आराजी एवं अन्य प्रतिवादी नं. 2 से 5 को बचत भूमि सुपुर्द कर दी गई होने से वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 से 5 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी काबिज है।

कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नं. 1 का बिना कब्जा काश्त के बे नामी तोर पर नाम अंकित होकर वादीगण का एवं अन्य प्रतिवादीगण का नाम खाते में कब्जा काश्त मौके पर होते हुए अंकित किया हुवा नहीं होने से प्रतिवादी नं. 2 एवं 6 द्वारा मोके पर झगडा फिसाद करने से एवं कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किये जाने से वाद इन्द्राज दुरूस्ती से मौके पर कब्जे के अनुसार खातेदारी अधिकार दिलाए जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा मु. डम्बोला

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी नं. 1 का अस्तित्व में नहीं होना सम्मन पर आया एवं प्रतिवादीगण की तामील होने पर प्रतिवादी नं. 1 एवं 6 उपस्थित एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजुद तामील होने के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

कि प्रतिवादी नं. 2 की तामील आने पर प्रतिवादी नं. 2 द्वारा अपने आपको प्रतिवादी नं. 1 होना बताया । इस पर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने कई मौके दिये जाने के उपरांत भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर पत्रावली साक्ष्य वादीगण में नियत की जाकर साक्ष्य वादीगण ली गई वादीगण की ओर से पीडबल्यु 1 रायसन एवं पीडबल्यु 2 की ओर से पँजा के बयान साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किये जाकर दस्तावेज प्रदर्श 1 से 4 रेवेन्यु रिकार्ड के प्रदर्शित करवाये गये न्यायालय द्वारा साक्ष्यी से जिरह करने हेतु वकील प्रतिवादीगण को कई बार आवाजें लगाये जाने के उपरांत भी वे उपस्थित नहीं हुए जिस पर उनकी वादी के गवाह से जिरह की स्टेज समाप्त की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई ।

कि साक्ष्य प्रतिवादी हेतु भी कई अवसर दिये गये लेकिन साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करते हुए वकील प्रतिवादी ने हिदायत पैरवी नहीं होना प्रकट किये जाने से पत्रावली वास्ते बहस के नियत की गई ।

बहस के दौरान न्यायालय द्वारा न्याय निस्पादन के लिए मौके की वस्तुस्थित जानना चाही जिस पर मौके पर पक्षकारों के कब्जे बाबत तहसीलदार सीमलवाडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा बनवाई जाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गई । प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पैरवी करने के बावजुद एक प्रार्थनापत्र पुनः जवाब पेश करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया जिसको न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने के पश्चात् जवाबदावा की स्टेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्टेज समाप्त करते हुए पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस समाअत की गई ।

वकील वादीगण का कथन है कि श्रीमति केहरी द्वारा अपने खाते की आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 2 से 5 तक द्वारा उसकी सेवा चाकरी किये जाने से उसके द्वारा सभी को अपनी स्वेच्छा से हिस्सा अनुसार सुपुर्द कर काबिज कर दिया जिस पर वादीगण 6 छः बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं एवं अन्य प्रतिवादीगण नं. 2 से 5 भी मोके पर काबिज है जो कि तहसीलदार सीमलवाडा की मौका रिपोर्ट से सिद्व है इस लिए मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण को एवं अन्य प्रतिवादीगण को खातेदार अधिकार प्रदान कराए जावे एवं प्रतिवादी नं. 1 का नाम बे नामी खातेदार के रूप में होने से विलोपित किया जावे ।

वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि मौके पर कब्जा वादीगण का एवं प्रतिवादीगण का तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा बनाये गये पर्चा मौका में अवश्य आया है लेकिन खातेदार प्रतिवादी नं. 1 होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाना फरमावें ।

बहस समाअत किये जाने के पश्चात् हमने पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया । हमारी राय में पटवारी हल्का द्वारा बनाई मौका रिपोर्ट जिसे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है के अनुसार के अनुसार मौके पर वादीगगण का एवं प्रतिवादी नं. 2 से 5 का कब्जा होना साबित है इस लिए वादीगण अपना वाद सिद्व करने में सफल रहे होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है –

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मोजा टकारी में स्थित संवत 2069 से 2072 के खाता नं. 144/135 खतोनी के खसरा नं. 179 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नं. 180 रकबा 0–15 बीघा, खसरा नं. 181 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नं. 182 रकबा 8–13 बीघा, 195 रकबा 1–10 बीघा, खसरा नं. 196

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner

रकबा 0–07 बीघा , खसरा नं. 478 रकबा 0–14 बीघा कुल खसरा 7 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा में से मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त सिद्व होने से प्रतिवादी नं. 1 का सम्पूर्ण खाते से नाम विलोपित किया जाकर निम्नानुसार अंकित किये जाने आदेश पारित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वादीगण को खसरा नं. 182 रकबा 8–13 आठ बीघा तेंरह बिस्वा की आराजी में से 6–00 छः बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं बचत रकबा 2–13 दो बीघा तेरह बिस्वा में लेम्बा पिता हीरा का नाम से अंकित रखे जाने आदेशित किया जाता है । इसी प्रकार खसरा नं. 179 रकबा 0–11 ग्यारह बीस्वा में जेशा पिता रूपा एवं लेम्बा पिता हीरा का संयुक्त खाते कायम किये जाने , खसरा नं. 180 रकबा 0–15 पन्द्रह बिस्वा शामी बेवा रूपा के खाते कायम किये जाने, खसरा नं. 181 रकबा 0–09, खसरा नं. 195 रकबा 1–10 एक बीघा दस बिस्वा प्रतिवादी नं. 1 के नाम यथावत अंकित किये जाने , खसरा नं. 196 रकबा 0–07 एवं खसरा नं. 478 रकबा 0–14 बीघा प्रतिवादी नं. 5 जालू पिता कला के नाम खातेदारी अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है इसी अनुसार खतोनी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नामों की प्रविष्टि की जाकर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे । एवं वर्तमान में अंकित लेम्बा पिता हीरा का नाम संपूर्ण हिस्सा अंकित होने से विलोपित किया जाकर उपरोक्त हिस्से अनुसार खतोनी में संशोधित करते हुए नाम खातेदारों के अंकित किये जाने तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें । पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होवे ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28/06/2019 को जारी की गई।

28.6.2019

(मणीलाल तीरगर)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा

मुहर

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – **उप खण्डअधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी– **मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 95/2012 रेवेन्यु

दायर दिनांक 19/10/2012

निर्णय दिनांक 28/06/2019

1. श्री रायसन पिता रतना डामोर खोखर
2. श्री रमण पिता रूपा डामोर खोखर निवासीयान टकारी प.ह. भचडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– वादीगण

बनाम

1. लेम्बा पिता हीरा डामोर खांट निवासी टकारी
2. श्री लेम्बा पिता काना डामोर निवासी टकारी
3. श्री जेसा पिता भूरा डामोर निवासी टकारी
4. श्री पूँजा पिता कालु डामोर निवासी टकारी
5. श्री झालु पिता कला डामोर निवासी टकारी
6. श्री मंगला पिता लेम्बा डामोर निवासीयान टकारी प.ह. भचिडया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
7. श्री भूमिधारी लेण्डइअहोल्डर तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा एव एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिलाए जाने हस्ब दफा 188/88/91/90/209 रा.टी.एक्ट 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 2 से 5 के विरूद्व एक्टपार्टी

प्रतिवादीगण नं. 1 व 6 की ओर से – श्री भगवान गुजर

प्रतिवादी नं. 7 की ओर से – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू, मणीलाल तीरगर आर ए एस ब हाजरी अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई व मुद्दायलाह नं. 1 प 6 श्री भगवान गुर्जन एडवोकेट मिन जानिब मुद्दायलाह नं. 7 पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मोजा टकारी में स्थित संवत 2069 से 2072 के खाता नं. 144/135 खतोनी के खसरा नं. 179 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नं. 180 रकबा 0–15 बीघा, खसरा नं. 181 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नं. 182 रकबा 8–13 बीघा, 195 रकबा 1–10 बीघा, खसरा नं. 196 रकबा 0–07 बीघा , खसरा नं. 478 रकबा 0–14 बीघा कुल खसरा 7 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा में से मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त सिद्व होने से प्रतिवादी नं. 1 का सम्पूर्ण खाते से नाम विलोपित किया जाकर निम्नानुसार अंकित किये जाने आदेश पारित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वादीगण को खसरा नं. 182 रकबा 8–13 आठ बीघा तेरह बिस्वा की आराजी में से 6–00 छः बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं बचत रकबा 2–13 दो बीघा तेरह बिस्वा में लेम्बा पिता हीरा का नाम से अंकित रखे जाने आदेशित किया जाता है । इसी प्रकार खसरा नं. 179 रकबा 0–11 ग्यारह बीस्वा में जेशा पिता रूपा एवं लेम्बा पिता हीरा का संयुक्त खाते कायम किये जाने , खसरा नं. 180 रकबा 0–15 पन्द्रह बिस्वा शामी बेवा रूपा के खाते कायम किये जाने, खसरा नं. 181 रकबा 0–09, खसरा नं. 195 रकबा 1–10 एक बीघा दस बिस्वा प्रतिवादी नं. 1 के नाम यथावत अंकित किये जाने , खसरा नं. 196

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रकबा 0–07 एवं खसरा नं. 478 रकबा 0–14 बीघा प्रतिवादी नं. 5 जालू पिता कला के नाम खातेदारी अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है इसी अनुसार खतोनी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नामों की प्रविष्टि की जाकर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे । एवं वर्तमान में अंकित लेम्बा पिता हीरा का नाम संपूर्ण हिस्सा अंकित होने से विलोपित किया जाकर उपरोक्त हिस्से अनुसार खतोनी में संशोधित करते हुए नाम खातेदारों के अंकित किये जाने तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाकर दावा डिकी किया जाता है । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें । पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होवे ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28/06/2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(मणीलाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा

मुहर

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालनामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		महनताना वकील	
फीस कमीश्नर		फीस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
बाबत इजराय		मुतफरीक	
मुतफरीक			
मिजान			

Scanned by CamScanner